



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई-मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-647/1853

रायपुर, दिनांक 18/06/2018

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
केशकाल वन मंडल, केशकाल
छत्तीसगढ़

विषय:- कोण्डागॉव जिले के केशकाल वन मंडल अंतर्गत ग्राम जैतपुरी से पाटला तक आस्टिक फायबर केल बिछाने हेतु 0.674 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत महाप्रबंधक, जियो इन्फोकाम, रायपुर, छत्तीसगढ़ को उपयोग पर देने बाबद।

प्रस्ताव क्रमांक FP/CG/Others/ 20475 / 2016

- संदर्भ: 1. वन मंडलाधिकारी, केशकाल वन मंडल का पत्र क्रमांक/ मा. चि/ 7615 दिनांक 06.12.2017
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 7-3/ 2018/10-2 दिनांक 26.05.2018
3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/ विविध/ 115-30/ 1751 दिनांक 07.06.2018

= 0 =

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का परीक्षण छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा जारी दिशा

निर्देश संदर्भ-2 के अंतर्गत करें और उक्त पत्र के बिन्दु 6.0 के उप बिन्दु (i); (ii); (iii); (iv); (v) एवं (vi) के अंतर्गत परीक्षण करें एवं वन मंडलाधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी किए जाने लायक प्रकरण होने की स्थिति में बिन्दु-6 के समस्त उप बिन्दुओं को शर्त में शामिल करते हुए स्वीकृति जारी करें तथा ई.डी.एस. की पूर्ति संदर्भ-3 अनुरूप करें।

विषयांकित प्रकरण पत्र वाहक भेजकर प्रस्ताव सहित तत्काल वन मंडल कार्यालय हेतु तीन दिवस में

प्राप्त करें।

संलग्न: संदर्भ पत्र-1 की छाया प्रति

(एस. एस. बजाज)

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 18/06/2018

पृ. क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-647/1854
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़। प्रकरण वन मंडलाधिकारी, केशकाल वन मंडल को EDS करें।
- महाप्रबंधक, रिलायंस जियो, इन्फोकॉम लिमिटेड, 4 चौथी मंजील, 401-405, अंबुजा माल, विधान सभा रोड़ कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड नं. 26, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़।

प्र. क्रमांक/ मा. चि/ 4597

दिनांक/ 25/06/18

प्रतिलिपि:- व.म.अ. केराकाल व.म. के अन्तर्गत

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित। सुप्रा उक्त पत्र में दिये

गये बिन्दुओं के अन्तर्गत पर प्रस्ताव स्वीकृति जारी किए जाने

सामग्री के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करें।

अधीक्षक
मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर